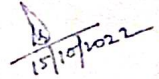


"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO"

This is certify that 40 hectare Forest Land of Balabehat Range-Gauna District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur


Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

CLB

(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

“LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO”

This is certify that 20 hectare Forest Land of Shahpur Range-Talbehat District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur

Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

US
(कन्हैया प्रतेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

“LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO”

This is certify that 30 hectare (Net Area-26.84 hectare) Forest Land of Pawa Range-Talbehat District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur

15/10/2022
Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

cls
16/10/2022
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
महाराष्ट्र सरकार

“LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO”

This is certify that 16 hectare Non Forest Land of Kapasi (Gata No.- 251) Range-Lalitpur District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur

Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

ds
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

“LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO”

This is certify that 13.30 hectare Non Forest Land of Baghaura (Gata No.- 15, 16 & 17) Range-Lalitpur District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur

Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

CLB
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

“LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO”

This is certify that 6.71 hectare Non Forest Land of Baghaura (Gata No.- 228) Range-Lalitpur District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur

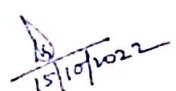
Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur

CLB
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
16/9/2022

"LAND SUITBILITY CERTIFICATE BY DFO"

This is certify that 5.21 hectare Non Forest Land of Baghaura (Gata No.- 739 & 740) Range-Lalitpur District-Lalitpur identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:- Lalitpur


Divisional Director
Social Forestry Division
Lalitpur


(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सांख्यिक वार्षिकी प्रभाग
ललितपुर

182.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौधो एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/ROAD/121197/2021) हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित अवनत वन भूमि मीरजापुर वन प्रभाग के विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत दाँती क०न०-1 (सूर्यवार) क्षेत्रफल-66.50 हे०, ड्रमण्डगंज रेंज अन्तर्गत (बबुरा क०न०-2, महुगढ़ी), क्षेत्रफल-40.00 हे० एवं पटेहरा रेंज अन्तर्गत घोरी क०न०-2(जहदर) क्षेत्रफल-84.00 हे०, कुल क्षेत्रफल-190.50 हे० चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क०न०	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1-	मीरजापुर वन प्रभाग	विण्ढमफाल रेंज	दाँती क०न०-1 (सूर्यवार)	66.50	आरक्षित (RF)
2-		ड्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क०न०-2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
3-		पटेहरा रेंज	घोरी क०न०-2(जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)
			योग -	190.50	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, महुआ, कठसागौन, सागौन, आँवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन आदि के पौधो का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है। चिन्हित वन भूमि का फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis कराने के उपरान्त वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(पी०एस० त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO (T)"

SUBJECT- चौधरी चरणसिंह कांवण सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फर नगर वन प्रभाग में 113.68हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फर नगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या— एफ०पी०/यू०पी०/रोड/121197/2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना के निर्माण में प्रभावित हो रहे कुल 222.98हे० संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु सोनभद्र वन प्रभाग को आवंटित 98हे० शुद्ध अवनत वनभूमि के क्रम में मांची रेंज अन्तर्गत 40हे०, चुर्क रेंज अन्तर्गत 40हे० एवं पटना रेंज अन्तर्गत 18हे० कुल 98 हे० शुद्ध अवनत वनभूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु चयनित अवनत वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण आदि नहीं है।

Sk
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

PLS
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
16/10/2022